

प्रतिभूति का प्रारूप

मैं/हम..... पुत्र श्री..... आयु.....

वर्ष निवासी.....

को कृषि उत्पादन मण्डी समिति..... जनपद.....

सचिव श्री.....द्वारा मेरे हमारे खलिहान
अग्निकाण्ड के फलस्वरूप हुई आर्थिक क्षति के लिए मण्डी परिषद द्वारा लागू खलिहानों में आग लगने के फलस्वरूप
प्रभावित उत्पादकों

..... मात्र को वित्तीय सहायता प्रदान की जा
रही है। अतः मैं/हम इकरार करते हैं कि इस सम्बन्ध में हमारा दावा किसी स्वार्थवश लाभ प्राप्त करने अथवा घोखा
देने अथवा तथ्यों या साक्ष्यों को छिपाकर या तोड़ मरोडकर प्रस्तुत करने के अन्तर्गत दोषी पाया गया तो मण्डी
परिषद को यह अधिकार होगा कि वह मुझे/हमें प्रदान की गयी उपरोक्त वित्तीय सहायता की पूर्ण धनराशि 13
प्रतिशत ब्याज के साथ वसूल कर ले तथा समस्त धनराशि मेरे/हमारे ओर से मण्डी परिषद को देय धनराशि के रूप में
समझी जायेगी जिसे मण्डी परिषद, मण्डी अधिनियम 1964 की धारा-20 (1) के विहित विधिक प्राविधानों के
अनुसार वसूल करने का अधिकार होगा अथवा किसी भी रीति से वसूल करने का अधिकार होगा।

हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

पिता का नाम.....

मण्डी समिति नाम एवं पता.....

दिनांक:

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

1- हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

2- हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....